दिनांक-10-12-2017 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में पटना शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किये जा रहे प्रयास से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का वृत्त।

पटना शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के साथ दिनांक-10.12.2017 को एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, पटना; राज्य परिवहन आयुक्त, पटना; यातायात पुलिस अधीक्षक पटना; नगर आयुक्त के प्रतिनिधि एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण, पटना ने भाग लिया।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पूर्व में इसके संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों, पटना शहर के प्रदूषण की वर्त्तमान स्थिति एवं उपस्थित पदाधिकारियों से चर्चा एवं सम्यक् विचारोपरान्त प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निम्न कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया:-

क्र.सं.	निर्देश	अनुपालन
1.	पटना शहर में 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी डीजल चालित वाहन, विशेषकर जिनका उत्सर्जन देखने से ही ज्यादा प्रदूषित प्रतीत हो रहा हो, के फिटनेश प्रदान करने एवं परिचालन पर प्रतिबंध लगाया जाय तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से जांच किया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार एवं यातायात पुलिस, पटना।
2.	सरकारी वाहनों के उत्सर्जन जांच एवं तदनुसार Pollution Under Control Certificate (PUC) निर्गत करने की व्यवस्था हेतु सचिवालय परिसर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल यथा-भेंटनरी कॉलेज ग्राउण्ड में परिवहन विभाग द्वारा तिथि सुनिश्चित कर कैम्प लगाया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार।
3.	पटना अवस्थित पंजीकृत वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा अपना कार्य समुचित ढ़ंग से सुनिश्चित कराने तथा इसका अनुश्रवण करने हेतु परिवहन विभाग को निदेश दिया गया।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार।
4.	व्यवसायिक वाहन जिन्हें पूर्व में Pollution Under Control (PUC) Certificate निर्गत है, पुन: अपने वाहन के उत्सर्जन की जांच 2 माह के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु पहले समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय एवं Pollution Under Control (PUC) केन्द्रों की सूची प्रकाशित की जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार।
5.	वाहनों में स्वच्छतर ईंधन यथा सी.एन.जी. के उपयोग हेतु स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की संभावनायें की दिशा में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये सूचना अनुसार गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पटना में इसकी उपलब्धता जून, 2018 तक होने की संभावना को तत्वरित दिशा में सुनिश्चित किया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार।

पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
11 JAN 2018
पटना नगर निगम

6.	पटना स्थित वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों में स्थापित उपकरणों के केलिब्रेशन की जांच बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा यथासंभव अविलंब सुनिश्चित किया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।
7.	पटना शहर एवं इसके आस-पास के इलाकों में पारम्परिक तकनीक पर आधारित किसी भी ईंट-भट्ठों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। पुराने तकनीक पर आधारित ईंट-भट्ठों को उन्नत एवं स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित कर लेने के पश्चात ही इसके संचालन की अनुमति दी जायेगी।	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।
8.	किसी भी परिस्थिति में ठोस अपशिष्टों को खुले में, जन-सामान्य या अन्य द्वारा अपशिष्टों के डम्पिंग स्थल पर नहीं जलाया जाय। इसकी अवहेलना करने वाले के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।	पटना नगर निगम, पटना।
9.	निर्माण समाग्री का भंडारण सड़क के किनारे नहीं किया जाय तथा इसका परिवहन ढ़ंक कर किया जाय।	पटना नगर निगम, पटना एवं यातायात पुलिस, पटना।
10.	यातायात पुलिस के पास उपलब्ध वाहन उत्सर्जन मॉनिटरिंग उपकरण के संचालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा किया जाय।	यातायात पुलिस, पटना एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।
11.	पेट्रोल पम्प को अनुज्ञप्ति देते समय उन्हें उक्त स्थल पर वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र की भी व्यवस्था स्थापित करने की शर्त्त रखी जाय तथा इसका अनुपालन परिवहन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार।
12.	निर्माण स्थलों को ढ़ंककर निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने का निदेश भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना एवं निर्माण एजेन्सी को दिया जाय। इस हेतु एक एडवाईजरी समाचार पत्र के माध्यम से अविलंब निर्गत किया जाय।	पटना नगर निगम, पटना, भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं निर्माण एजेन्सी।
13.	पटना शहर के मुख्य सड़कों यथा बेली रोड, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, फ्रेजर रोड, एक्जीबिशन रोड आदि पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।	पटना नगर निगम, पटना।
14.	सड़कों की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किया जाय ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या न हो।	यातायात पुलिस, पटना।
15.	पटना शहरी क्षेत्र में परिचालित वैसे तिपहिया वाहन जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र हेतु परमिट प्राप्त है, को नियमित जांच कर उन्हें प्रतिबंधित किया जाय तथा इसकी अवहेलना करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	परिवहन विभाग, बिहार सरकार एवं यातायात पुलिस, पटना।

[signature] 11/01/17

प्रधान सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, सरकार, पटना

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

ज्ञापांक:–पर्या0 / वन–12 / 2016– 1035 (8) / प०व० पटना–15, दिनांक–18/12/11

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग / परिवहन विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 / महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 / वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना / निरीक्षक, यातायात, पुलिस पटना / आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

राजू कुमार